चिकित्सा सहायताः-

श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के श्रम अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या 19/2021/165/ 36-3-2021-01(यू.एस.एस.)/13टी.सी. दिनांक 20.10.2021 द्वारा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना संचालित है। इसका मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के अन्तर्गत पंजीकृत कामगारों एवं उनके परिजनों को रू0 5.00 लाख तक कैशलेस इलाज की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराना है तथा साथ ही असंगठित कामगारों को वित्तीय स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना है।
मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत स्टेट एजेन्सी कम्प्रीहेन्सिव हेल्थ एण्ड इन्टीग्रेटेड सर्विसेज (ै।ब्भ्प्ै) के द्वारा अधिकृत सरकारी एवं निजी अस्पतालों में प्रति परिवार 5.00 लाख रूपये तक प्रतिवर्ष इलाज की सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाती है।

चिकित्सा सहायता हेतु गम्भीर बीमारियों का विवरण

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की अधिसूचना संख्या- 4200-4331/भ0नि0बो0(90)/2011, दिनांकः 15.07.2011, उ0प्र0 शासन श्रम अनुभाग-2 के पत्र संख्या-13/2015/319/36-2-2015-93(1)/11 दिनांकः 03.11.2015 एवं पत्र संख्या- 3190-96/ भ0नि0बो0 (90)/2017 दिनांकः 03.10.2017 द्वारा निम्न गम्भीर बीमारियां अधिसूचित की गयी हैं:-

1. हृदय की शल्य क्रिया
2. गुर्दा का प्रत्यारोपण
3. लवर (यकृत) का प्रत्यारोपण
4. मस्तिष्क की शल्यक्रिया
5. रीढ़ की हड्डी की शल्य क्रिया
6. पैर के घुटने बदलना
7. कैंसर का इलाज
8. एच0आई0वी0 एड्स की बीमारी
9. आंख की शल्य किर्या
10. पथरी की शल्य किर्या
11. एपेन्डिक्स की शल्य किर्या
12. हाइडर्रोसिल की शल्य किर्या
13. महिलाओं को होने वाले स्तन कैंसर की शल्य किर्या
14. सविर्कल (बच्चेदानी/योनि) कैंसर की शल्य किर्या
15. अन्य गम्भीर बीमारी जिसमें कम से कम एक सप्ताह तक चिकित्सालय में भर्तीर् होकर उपचार कराया गया हो।

http://shasanadesh.up.nic.co

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उक्त शासनादेशों में संशोधन होने पर परिवर्तत व्यवस्था प्रभावी होगी।

<u>पात्रता-</u>

मत्स्य पालक कल्याण कोष के अन्तर्गत चिकित्सा सहायता हेतु ऐसे व्यक्ति पात्र होंगे, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत, श्रम विभाग द्वारा संचालित कामगार गम्भीर बीमारी सहायता योजना, स्वास्थ्य विभाग अन्य किसी विभाग, विधायक निधि, सांसद निधि आदि द्वारा चिकित्सा सहायता से आच्छादित न हो।

<u>चयन प्रक्रिया-</u>

गम्भीर बीमारी से प्रभावित व्यक्ति द्वारा आनलाइन आवेदन किया जायेगा। उपचार से सम्बन्धित समस्त आवश्यक अभिलेख/बिल वाउचर्स की मूल प्रति एवं प्रमाणित प्रति मत्स्य विभाग के जनपदीय कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।

प्राप्त आवेदन पत्र जनपदीय मत्स्य अधिकारी द्वारा समस्त अभिलेखों सहित सम्बन्धित तहसील के उप जिलाधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा। आवेदक पूर्व में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत, श्रम विभाग द्वारा संचालित कामगार गम्भीर बीमारी सहायता योजना, स्वास्थ्य विभाग अथवा अन्य किसी विभाग, विधायक निधि, सांसद निधि आदि द्वारा ि चकित्सा सहायता से आच्छादित नहीं हुआ है, इसका सत्यापन उप जिलाधिकारी द्वारा कराया जायेगा। सम्बन्धित उप जिलाधिकारी द्वारा जनपदीय मत्स्य अधिकारी को सत्यापन/जांच आख्या प्रेषित की जाएगी। तीन दिन में आवेदन पर तहसील की आख्या प्राप्त करते हुए जिला स्तरीय सिमित (डी0एल0सी0) के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। प्राप्त आवेदन-पत्रों का निस्तारण जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित सिमित द्वारा अधिकतम पांच दिन में करते हुए लाभार्थी चयन किया जायेगा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित सिमित के स्तर से आवेदन पत्रों का निस्तारण अधिकतम 05 दिवस में न किये जाने की स्थिति में ऐसे प्रकरणों पर निर्णय लिये जाने हेतु निदेशक मत्स्य, उ0प्र0 अधिकृत होंगे।

<u>देय हित लाभ-</u>

1-सरकारी/स्वायत्तशासी चिकित्सालयों अथवा निजी चिकित्सालयों में राज्य के अन्दर उपचार कराने पर संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (SGPGI) लखनऊ की दर पर एवं राज्य के बाहर उपचार कराने पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) नई दिल्ली की दर से चिकित्सा सहायता प्रदान की जाएगी।

http://shasanadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2-चिकित्सा/शल्य क्रिया में चिकित्सालय द्वारा उपचार का इस्टीमेट दिये जाने पर चिकित्सालय को अग्रिम राशि का भी भुगतान किया जा सकता है।

3-उपचार सम्बन्धी बिल वाउचर्स का सत्यापन सम्बन्धित जनपदीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा उक्तानुसार निर्धारित दरों पर किया जायेगा।

4-एक परिवार को अधिकतम पांच लाख की चिकित्सा सहायता प्रदान की जाएगी।

<u>आवश्यक अभिलेख-</u>

1-बीमारी से सम्बन्धित अभिलेख

2-दवाइयों के क्रय पर हुए मूल बिल वाउचर्स जो कि उक्त चिकित्सक/चिकित्सालय द्वारा प्रमाणित किए गए हो।

3-किसी गम्भीर बीमारी का उपचार करने वाले चिकित्सक/चिकित्सालय द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र।

http:// shasnadesh up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।